

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 16.06.2024

पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को वहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में पुवायाँ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को वहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार: -

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 16.06.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिला की थाना हाजा के मु0अ0सं0 357/24 धारा 366/363/376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मदी मोड़ पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है अगर जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है पुलिस वालो द्वारा मुखबिर बात पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर खास ने दूर से ही इशारा कर बताया की वह व्यक्ति हैं और मुखबिर इशारा कर चला गया पुलिस वाले जैसे ही इन खडे व्यक्ति के पास पहुंचे तो पुलिस वालों को देखकर एकदम शकपका गयां इस व्यक्ति को रोककर इससे नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इनके द्वारा अपना नाम प्रसून पुत्र रामकिसन निवासी ग्राम रायपुर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष बताया यही मुकदमा हाजा के वांछित अभियुक्त हैं प्रसून पुत्र रामकिसन निवासी ग्राम रायपुर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 10.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रसून पुत्र रामकिसन निवासी ग्राम रायपुर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1. मु0अ0सं0 357/24 धारा 366/363/376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्र0नि0 श्री प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री करतार सिंह पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 740 दीपक कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर